20रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

पाँच रुपये FIVE RUPEES भारत INDIA 5 रु. Rs.5

5 रु. COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

216

न्यायालय : राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रं. निगरानी निग-495-II/16

दिनांक 5.2.16 को श्री सुभाष सक्सेना अभि० द्वारा प्रस्तुत।
5.2.16
SO

Subhash Saxena 5/2/16

प्रताप सिंह पुत्र श्री जगनन्नाथ सिंह
निवासी- बितालीपुरवा ,लवकुशनगर,
तहसील-लवकुश नगर, जिला -छतरपुर,
(म0 प्र0)

-आवेदक

बनाम

हल्के सिंह पुत्र श्री ठिल्ली सिंह
निवासी- बितालीपुरवा ,लवकुशनगर,
तहसील-लवकुश नगर, जिला -छतरपुर,
(म0 प्र0)

- अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959 के विरूद्ध आदेश दिनांक 22.12.2015 द्वारा पारित अनुविभागिया अधिकारी लवकुश नगर / गोरिहार, छतरपुर म.प्र. प्रकरण क्रमांक 79/अपील/2015-16

माननीय महोदय,

आवेदक की निगरानी निम्नलिखित है:-

1. यहकि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि, आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर छतरपुर के समक्ष प्रकरण क्रं0 378/बी-121/1995-96 में पारित आदेश दिनांक 3-11-1996 के विरूद्ध एक निगरानी प्रस्तुत की उक्त निगरानी के साथ धारा 5 अवधि विधान का आवेदन शपथ पत्र के साथ पेश किया जिसे अनुविभागिय अधिकारी ने पंजीवृत कर दिनांक 22.12.2015 को बगैर रिकॉर्ड देखे प्रारभिक सुनवाई में ही निगरानी को अपील को अग्राहय मानते हुऐ निगरानी निरस्त कर दी ।

XXXIX(a)-BR(H)-11

1

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग - 495/II/16 जिला छतरपुर

प्रताप / हल्के

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29/3/16	मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के ग्राह्यता पर तर्क सुने और नस्ती का परिशीलन किया। यह स्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश दि. 22-12-15 मे SDO ने उभयपक्ष को प्रतिसमर्थन का समुचित अवसर देने और प्रकरण को समझने के बाद, बोलते और विस्तृत स्वरूप में अपना निर्णय लिया है। उन्होंने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि वर्ष 1996 के तहसील न्या. के आदेश की जानकारी अपीलार्थीन आवेदक को क्यों और कैसे थी। इस प्रकार स्पष्ट आधारों पर उन्होंने 19 वर्ष के विलम्ब को माफी योग्य नहीं पाने का निष्कर्ष निकाला है। इस न्यायालय के समक्ष आवेदक निगरानीकार की ओर से SDO के निष्कर्ष और उसके आधारों के खण्डन में कोई ठोस और स्पष्ट कारण और आधार पेश नहीं किए गए हैं।	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको आदि के हस्ताक्षर
	इन सब के प्रकाश में मैं SDO के आक्षेपित आदेश, दि 22.12.15 को सही पाता हूँ, इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता और यह निगरानी अग्राह्य करता हूँ। आदेश पारित। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण समाप्त। दा. द. हो।	